भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 589**
28 नवंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

## उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पीएमएफएमई योजना

**589. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

**(क)** सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विशेषकर जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतगर्त खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि करने और स्थानीय उत्पादों के लिए बाज़ार पहुंच में सुधार करने हेतु एक 'जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) पहल को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

**(ख)** सरकार द्वारा त्रिपुरा के विभिन्न जिलों में उक्त योजना के अंतगर्त ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निधि और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

**(ग)** सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं कि जनजातीय और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को संसाधनों और सहायता का उचित हिस्सा प्राप्त हो; और

**(घ)** पीएमएफएमई योजना की ओडीओपी पहल के अंतर्गत परियोजनाओ के चयन लिए मानदंड और अन्य क्या आवश्यकताएं हैं और स्थानीय स्वदेशी जनजातीय समुदायो के उद्यमियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता के संदर्भ में समर्थन देने के लिए अधिमान्य व्यवहार हेतु कोई विशेष प्रावधान क्या हैं?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित- "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) स्कीम" को लागू कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए चालू है। इस स्कीम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में वर्तमान वैयक्तिक सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।

यह स्कीम मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है ताकि आदानों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।

मंत्रालय ने 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 726 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) को मंजूरी दी है, जिसमें 49 जिलों में लघु वनोत्पाद भी शामिल हैं। इनमें से 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 122 जिलों में ओडीओपी को मंजूरी दी गई है। सूची **अनुबंध-I** में दी गई है ।

**(ख) और (ग):** पीएमएफएमई स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण पैटर्न 90:10 (केंद्रीय हिस्सा: पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा) है। इस स्कीम के तहत ओडीओपी के लिए कोई विशेष निधि का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, स्कीम के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के दौरान ओडीओपी को प्राथमिकता दी जाती है। त्रिपुरा राज्य सरकार, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते, आदिवासी और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों सहित त्रिपुरा के विभिन्न जिलों में उक्त स्कीम के तहत ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए धन और संसाधनों के वितरण के लिए जिम्मेदार है।

**(घ):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की अनुशंसाओं पर उनके द्वारा कृषि उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद के विकारी होने आदि के आधार पर पहचानी गई ओडीओपी को मंजूरी देता है। इस स्कीम के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देते समय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा ओडीओपी को प्राथमिकता दी जाती है। इस स्कीम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने और उत्पाद विशिष्ट कौशल के लिए लाभार्थियों के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए पीएमएफएमई स्कीम के तहत भावी उद्यमियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

*****

**अनुबंध-I**

**दिनांक 28.11.2024 को उत्तर हेतु "उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पीएमएफएमई योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 589 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

8 पूर्वोत्तर राज्यों के 122 जिलों में स्वीकृत ओडीओपी की सूची

**(i) अरुणाचल प्रदेश:**

| क्र. सं. | ज़िला | ओडीओपी |
|---|---|---|
| 1 | चांगलांग | सुपारी |
| 2 | पूर्वी कामेंग | संतरा आधारित उत्पाद |
| 3 | कामले | संतरा आधारित उत्पाद |
| 4 | क्रा दादी | बडी इलायची |
| 5 | कुरुंग कुमे | बडी इलायची |
| 6 | लेपरदा | अचार |
| 7 | लोहित | तिलहन आधारित उत्पाद (सरसों, तिल आदि) |
| 8 | लोंगडिंग | अदरक आधारित उत्पाद |
| 9 | निचली दिबांग घाटी | अदरक आधारित उत्पाद |
| 10 | निचला सुबनसिरी | कीवी आधारित उत्पाद |
| 11 | नामसाई | हल्दी |
| 12 | पापुम पारे-( युपिया ) | हल्दी |
| १३ | सियांग | बडी इलायची |
| 14 | तवांग | मिर्च |
| 15 | तिराप | बाजरा आधारित उत्पाद |
| 16 | ऊपरी सियांग | संतरा आधारित उत्पाद |
| 17 | ऊपरी सुबनसिरी | संतरा आधारित उत्पाद |
| 18 | पूर्वी सियांग | गुड़ |
| 19 | पश्चिम सियांग | अनानास आधारित उत्पाद |
| 20 | पश्चिम कामेंग | सेब आधारित उत्पाद |
| 21 | अंजॉ | बडी इलायची |
| 22 | शि योमी | कीवी आधारित उत्पाद |
| 23 | पापुम पारे (कैपिटल कॉम्प्लेक्स) | हल्दी |
| 24 | दिबांग घाटी | कीवी आधारित उत्पाद |
| 25 | पक्के कसांग | अदरक आधारित उत्पाद |
| 26 | निचला सियांग | हल्दी |

**(ii) असम:**

| क्र.सं. | ज़िला | ओडीओपी |
|---|---|---|
| 1 | बक्सा | शहद |
| 2 | बारपेटा | दूध आधारित उत्पाद |
| 3 | बिस्वनाथ चाराली | आलू आधारित उत्पाद |
| 4 | बोंगईगांव | हल्दी |
| 5 | कछार | अनानास आधारित उत्पाद |
| 6 | चराईदेओ | चावल (नरम चावल) आधारित उत्पाद |
| 7 | चिरांग | नींबू आधारित उत्पाद |
| 8 | दरांग | सरसों के उत्पाद |
| 9 | धेमाजी | सरसों के उत्पाद |
| 10 | धुबरी | मिर्च आधारित उत्पाद |
| 11 | डिब्रूगढ़ | सरसों के उत्पाद |
| 12 | दीमा हसाओ | अदरक आधारित उत्पाद |
| 13 | गोलपाड़ा | केला आधारित उत्पाद |
| 14 | गोलाघाट | काले चावल आधारित उत्पाद |
| 15 | हैलाकांडी | सुपारी |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | होजाइ | गन्ना आधारित उत्पाद (गुड़ आदि) |
| 17 | जोरहाट | मिर्च आधारित उत्पाद |
| 18 | कामरूप (आर) | केला आधारित उत्पाद |
| 19 | कामरूप (एम) | अचार |
| 20 | कार्बी- आंगलोंग | अदरक आधारित उत्पाद |
| 21 | करीमगंज | सुपारी |
| 22 | कोकराझार | मशरूम |
| 23 | लखीमपुर | सूअर पालन (स्मोक्ड मांस) |
| 24 | माजुली | सरसों आधारित उत्पाद |
| 25 | मोरीगांव | मूंगफली उत्पाद |
| 26 | नगांव | अचार |
| 27 | नलबाड़ी | चावल (नरम और चिपचिपा चावल) आधारित उत्पाद |
| 28 | शिवसागर | चावल (लाल चावल) आधारित उत्पाद |
| 29 | सोनितपुर | कटहल आधारित उत्पाद |
| 30 | दक्षिण सलमारा | काजू आधारित उत्पाद |
| 31 | तिनसुकिया | साइट्रस उत्पाद |
| 32 | उदलगुड़ी | आलू आधारित उत्पाद |
| 33 | पश्चिम कार्बी- आंगलोंग | अदरक आधारित उत्पाद |

**(iii) मणिपुर:**

| क्र. सं. | ज़िला | ओडीओपी |
|---|---|---|
| 1. | चंदेल | अदरक आधारित उत्पाद |
| 2. | चूराचांदपुर | अनानास आधारित उत्पाद |
| 3. | इम्फाल पूर्व | अनानास आधारित उत्पाद |
| 4. | इम्फाल पश्चिम | मछली उत्पाद |
| 5. | काकचिंग | काले चावल आधारित उत्पाद |
| 6. | बिश्नुपर | मछली उत्पाद |
| 7. | फ़ेरज़ावल | अदरक आधारित उत्पाद |
| 8. | नोनी | केला आधारित उत्पाद |
| 9. | सेनापति | कीवी आधारित उत्पाद |
| 10. | तामेंगलांग | संतरा आधारित उत्पाद |
| 11. | टेंग्नौपाल | बांस की टहनियों पर आधारित उत्पाद |
| 12. | थौबल | अनानास आधारित उत्पाद |
| 13. | कांगपोकपी | हल्दी |
| 14. | उखरूल | कचाई नींबू |
| 15. | कामजोंग | किंग चिली |
| 16. | जिरीबाम | नारियल आधारित उत्पाद |

**(iv) मेघालय:**

| क्र. सं. | ज़िला | ओडीओपी |
|---|---|---|
| 1 | पूर्वी खासी हिल्स | सोहियोंग आधारित उत्पाद |
| 2 | दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स | शहद |
| 3 | री-भोई | अनानास आधारित उत्पाद |
| 4 | पूर्वी जांतिया हिल्स | हल्दी |
| 5 | पश्चिमी जांतिया हिल्स | हल्दी |
| 6 | उत्तरी गारो हिल्स | केला आधारित उत्पाद |
| 7 | पूर्वी गारो हिल्स | अनानास आधारित उत्पाद |
| 8 | दक्षिण गारो हिल्स | कटहल आधारित उत्पाद |
| 9 | दक्षिण-पश्चिम गारो हिल्स | अनानास आधारित उत्पाद |
| 10 | पश्चिमी खासी हिल्स | अदरक आधारित उत्पाद |
| 11 | पश्चिमी गारो हिल्स | काजू आधारित उत्पाद |

**(v) मिजोरम:**

| क्र. सं. | ज़िला | ओडीओपी |
|---|---|---|
| 1 | आइजोल | मिज़ो मिर्च |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | चम्फाई | पैशन फ्रूट आधारित उत्पाद |
| 3 | ह्नाथियाल | हल्दी |
| 4 | ख़ावज़ौल | अनानास आधारित उत्पाद |
| 5 | कोलासिब | हल्दी |
| 6 | लॉन्टलाई | आम आधारित उत्पाद |
| 7 | लुंगलेई | हल्दी |
| 8 | मामित | हल्दी |
| 9 | सैहा | हल्दी |
| 10 | सैतुअल | अदरक आधारित उत्पाद |
| 11 | सेरछिप | अनानास आधारित उत्पाद |

**(vi) नागालैंड:**

| क्र. सं. | ज़िला | ओडीओपी |
|---|---|---|
| 1 | दीमापुर | अनानास उत्पाद |
| 2 | किफायर | खोलार (राजमा) उत्पाद |
| 3 | कोहिमा | अचार उत्पाद |
| 4 | लोंगलेंग | अदरक उत्पाद |
| 5 | मोकोकचुंग | कॉफ़ी उत्पाद |
| 6 | मोन | बड़ी इलायची के उत्पाद |
| 7 | पेरेन | नागा किंग मिर्च उत्पाद |
| 8 | फ़ेक | कीवी उत्पाद |
| 9 | तुएनसांग | खोलार (राजमा) उत्पाद |
| 10 | वोखा | मछली उत्पाद |
| 11 | जुन्हेबोटो | सोयाबीन उत्पाद |

**(vii) सिक्किम:**

| क्र. सं. | ज़िला | ओडीओपी |
|---|---|---|
| 1 | उत्तर जिला | बडी इलायची |
| 2 | दक्षिण जिला | अदरक आधारित उत्पाद |
| 3 | पश्चिमी जिला | न्यूनतम प्रसंस्कृत सब्जियाँ |
| 4 | पूर्वी जिला | रेडचेरी काली मिर्च (डैली खोरसानी ) |
| 5 | पाकयोंग | बेकरी स्नैक्स कन्फेक्शनरी उत्पाद |
| 6 | सोरेंग | मांस आधारित उत्पाद |

**(viii) त्रिपुरा:**

| क्र. सं. | ज़िला | ओडीओपी |
|---|---|---|
| 1 | धलाई | बहु फल प्रसंस्करण |
| 2 | गोमती | बहु फल प्रसंस्करण |
| 3 | खोवाई | चावल आधारित उत्पाद |
| 4 | उत्तर त्रिपुरा | चाय उत्पाद |
| 5 | सिपाहीजाला | दूध आधारित उत्पाद |
| 6 | दक्षिण त्रिपुरा | बेकरी उत्पाद |
| 7 | उन्नाकोटि | बहु फल प्रसंस्करण |
| 8 | पश्चिमी त्रिपुरा | बेकरी उत्पाद |

*****

**अनुबंध- II**

**दिनांक 28.11.2024 को उत्तर देने हेतु "उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पीएमएफएमई योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 589 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) स्कीम के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) वैयक्तिक/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) स्वयं सहायता समूहों को प्रारम्भिक पूंजी के लिए सहायता: कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारम्भिक पूंजी, प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये के अध्यधीन होगी।

(iii) सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता: एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी अभिकरण को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम 3 करोड़ रुपये के अध्यधीन होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv) ब्रांडिंग और विपणन सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) क्षमता निर्माण: इस स्कीम में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****